Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में नगर पालिका, आसीन्द का अधिशासी अधिकारी (ई.ओ.) 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *07 मार्च, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये पिंटू लाल जाट अधिशासी अधिकारी (ई.ओ.), नगर पालिका, आसीन्द, भीलवाड़ा को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी के भूखण्ड पर भवन निर्माण स्वीकृति देने की एवज में अधिशासी अधिकारी (ई.ओ.), नगर पालिका, आसीन्द, भीलवाड़ा द्वारा 1 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की भीलवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह चारण** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती दीपिका राठौड़** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये पिंटू लाल जाट पुत्र श्री जमनालाल ग्राम बालापुरा, तहसील आसीन्द, भीलवाड़ा हाल निवासी गुलाबपुरा, भीलवाड़ा हाल अधिशासी अधिकारी (ई.ओ.), नगर पालिका, आसीन्द, भीलवाड़ा को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।